<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित **एटा-अलीगंज मार्ग** (**प्रमुख जिला मार्ग** सं0 98) के किमी0 25 व 26 के बीच में चैनेज 25.118 के दायी पटरी पर रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु अपेक्षित संरक्षित वन भूमि 0.0654 हेक्टेयर है, जिसके निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त परियोजना हेतु उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

For Essar Oil Limited

Authorised Signatory

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा

डिवीजनल मैनेजर (रिटेल)
एस्सार ऑयल लिमिटेड

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के लिए प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाई गई सभी शर्ते मान्य होंगी।

For Essar Oil Limited

Authorised Signatory

डिवीजनल मैनेजर

एस्सार ऑयल लिमिटेड

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–29 / 2004–एफ0सी0 दिनांक 15.07.2004 में बिन्दु सं0 iii से vii तक में उल्लिखित सभी बिन्दुओं की शर्तो का अनुपालन याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना में किया जायेगा।

For Essar Oil Limited

Authorised Signatory

डिवीजनल मैनेजर

एस्सार ऑयल लिमिटेड

क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में **एटा -अलीगंज मार्ग(प्रमुख जिला मार्ग सं0 98)** के खसरा सं0 171 ग्राम **राजपुर** व तहसील व जिला एटा पर एस्सार ऑयल लिमिटेड के द्वारा नये रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु आवंटित संरक्षित वनभूमि में मांगी गयी वनभूमि के स्थान पर क्षतिपूरक वनीकरण एवं वनभूमि के नेट प्रजेण्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सराकर द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान करने हेतु एस्सार ऑयल लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वचनबद्ध है।

For Essar Oil Limited

Gulshan Sethi

Authorised Signatory

डिवीजनल मैनेजर

एस्सार ऑयल लिमिटेड

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित **एटा-अलीगंज मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं0 98)** के किमी0 25 व 26 के बीच में चैनेज 25.118 के दायी पटरी पर रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु अपेक्षित संरक्षित वन भूमि 0.0654 हेक्टेयर है, जिसके निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त परियोजना हेतु उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

For Essar Oil Limited

Authorised Signatory

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

एटा

डिवीजनल मैनेजर (रिटेल)

एस्सार ऑयल लिमिटेड

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित **एटा -अलीगंज मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग** सं0 98) के किमी0 25 व 26 के बीच में चैनेज 25.118 के दायी पटरी के किनारे रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु अपेक्षित संरक्षित वनभूमि 0.0654 हेक्टेयर है जिसके दुगने अवनतवन क्षेत्र 0.1308 हेक्टेयर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनविभाग शासन द्वारा जितनी धनराशि की मांग की जाएगी उसका भुगतान एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा वनविभाग को नियमानुसार किया जायेगा।

For Essar Oil Limited

Authorised Signatory

डिवीजनल मैनेजर

एस्सार ऑयल लिमिटेड

N. P. V. के भुगतान हेतु प्रमाण पत्र

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित **एटा -अलीगंज मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग** सं0 98) के किमी0 25 व 26 के बीच में चैनेज 25.118 के दायी पटरी के किनारे रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु अपेक्षित संरक्षित वनभूमि 0.0654 हेक्टेयर है। अपेक्षित संरक्षित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (N. P. V.) हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी धनराशि निर्धारित की जाएगी उस धनराशि का भुगतान एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा वनविभाग को नियमानुसार किया जाएगा।

For Essar Oil Limited

Authorised Signatory

डिवीजनल मैनेजर

एस्सार ऑयल लिमिटेड

मानक शर्ते

एक अनुभाग–3 उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या 7314 / 14–3–1980 / 92 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित) भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित / आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी। प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं। याचका विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष का हस्तांरित नहीं करेगा। भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त है अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाएंगे और किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को कराना होगा।

भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित जिलाधिकारी की देख रेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में नए मुनारे आदि की देखभाल करेगा।

हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया गया। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की पूर्ण एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।

याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरिक भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार के लिए का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किए गए विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

For Essar Oil Limited

Authorised Signatory

वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो विभाग को मान्य होगा।

हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों को प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा नियन्त्रित किए जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। इसी प्रकरण बॉज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन स्तर पर ही हो सकेगा।

वनभूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा या खम्भों को ऊँचा करके उसे सुनिश्चित किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षक करके सम्बन्धित उप वनसंरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक अनुमोदन आवश्यक है।

यदि नहर आदि निर्माण में भू–रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों की पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करेगा।

उपलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मथुरा द्वारा अथवा वनविभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभागको मान्य होगीं।

वनविभाग कावास्तविक हस्तानान्तरण तभी किया जाए जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

मैं भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्ते मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

For Essar Oil Limited

Authorised Signatory

डिवीजनल मैनेजर

एस्सार ऑयल लिमिटेड